

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 8] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 11, 1983/पौष 21, 1904
No. 8] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 11, 1983/PAUSA 21, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

बाणिज्य मंत्रालय

निर्यात व्यापार नियंत्रण

सार्वजनिक सूचना सं० 2-ई० डी० सी० (पी० एन०)/83

नई दिल्ली, 11 जनवरी, 1983

विषय:--सभी प्रकार के लेखन एवं मुद्रण के कागज का निर्यात।

सं० 9/82-ई०-1:--उपर्युक्त विषय पर निर्यात निबंधन संशोधन आदेश सं० ई० (सी०)
ओ०, 1977/ए० एम०/(254) दिनांक 11 जनवरी, 1983 की धोर व्यापक दिखाया जाता है।

2. सभी प्रकार के लेखन एवं मुद्रण के कागज के निर्यात पर से रोक हटाने और इसका
निर्यात पहले आए से पहले पाए के आधार पर एक सीमित उच्चतम सीमा के भीतर
अनुमति किये जाने का निश्चय किया गया है। तदनुसार, आयात-निर्यात नीति 1982-83 की

1183 GI/82

जिस्से 2 में दिए गए नीति विवरण की क्रम सं० 103 के सामने की वर्तमान प्रविष्टि निम्न-लिखित प्रविष्टि द्वारा प्रतिस्थापित की जाएगी :—

1	2	3
103	एयरमेल टिश्यु पेपर 3 1/2 ओ० एस० एम० से कम निर्यात पहलू बाएँ से पहलू बाएँ को शामिल कर किन्तु हस्तनिर्मित कागज को शामिल न कर।	के बाँधारे पर एक सीमित उच्चतम सीमा के भीतर अनुमेष होगा।

मणि नारायणस्वामी, मुख्य नियंत्रक, आयात एवं निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE

EXPORT TRADE CONTROL

PUBLIC NOTICE NO. 2-ETC (PN)/83

New Delhi, the 11th January, 1983

Subject:— Export of Writing and Printing paper, all sorts.

No. 9/9'82-E.I:— Attention is invited to Exports (Control) Amendment Order No. E(C)O 1977/AM(254) dated 11th January, 1983 on the above subject.

2. It has been decided to lift the ban on export of writing and printing paper all sorts and to permit its export within a limited ceiling on 'First come-First served' basis. Accordingly the existing entry against Sl.No. 103 of Policy Statement contained in Volume II of Import & Export Policy 1982-83 shall be substituted by the following entry:—

1	2	3
103	Writing and Printing Paper including Airmail tissue paper below 34 GSM excluding hand-made paper.	Export will be allowed within a limited ceiling on 'First come-First served' basis.

MANI NARAYANSWAMI, Chief Controller of Imports & Exports